(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतः राज्यिक इकाइयों की ओर से राज्य पारेषण यूटिलिटी;

(ii) अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी क्रेता इकाई;

(iii) 50 मेगावाट और उससे अधिक भार के साथ आईएसटीएस से सीधे जुड़ने की मांग करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपभोक्ता;

(iv) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के संदर्भ में विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में प्रवृत्त व्यापार अनुज्ञप्तिधारी;

(v) आनुषंगिक विद्युत के आहरण के लिए आईएसटीएस से जुड़े पारेषण अनुज्ञप्तिधारी।

17.2 विनियम 17.1 के अधीन कवर नहीं की गई इकाइयां, जो कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख पर, आईएसटीएस से जुड़े हैं या जिन्हें संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन संयोजकता अनुदान की गई है, संयोजकता की मात्रा के बराबर मात्रा के लिए आईएसटीएस से जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं, जिसे इन विनियमों के विनियम 37.6 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

17.3 इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर किए गए आवेदक, टर्मिनल बे की शेयरिंग के लिए आवेदक और उक्त इकाई के बीच विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ, इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन ऐसी अन्य इकाई को पहले से ही आबंटित किसी आईएसटीएस के टर्मिनल बे से जुड़ने की मांग कर सकता है।

18. जीएनए का डीम्ड अनुदान

18.1 तारीख पर, ये विनियम प्रवृत्त होते हैं,

(क) (i) अंतः राज्यिक इकाई (इकाइयों) सहित राज्य और (ii) अन्य अदाकर्ता इकाइयों के लिए जीएनए, वित्तीय वर्षों 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के लिए 'क' की औसत होगाः

जहां,

'क' = {0.5 x वर्ष के दौरान टाईम ब्लॉक में अधिकतम आईएसटीएस आहरण} + {0.5 x [वर्ष के दौरान (दिन में टाईम ब्लॉक में अधिकतम आईएसटीएस आहरण) का औसत]}

(ख) इस विनियम के खंड (क) के अनुसार परिकलित जीएनए, इन विनियमों के अनुलग्नक–I में दिया गया है।

(ग) इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार अंतः राज्यिक इकाई (इकाइयों) सहित राज्य के लिए जीएनए, ऐसी अंतः राज्यिक इकाइयों की ओर से उस राज्य के एसटीयू को अनुदत्त की गई समझा जाएगा और तब तक वैध रहेगा जब तक कि इन विनियमों के अनुसार उसका त्याग नहीं किया जाता।

(घ) इस विनियम के खंड (ग) के अनुसार एसटीयू को अनुदत्त समझे गए जीएनए को, संयोजकता विनियम, 2009 के अनुसार प्राप्त दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन (i) प्रदेश के अंदर जीएनए और (ii) प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर, संविदाओं के अनुपात में, प्रदेश के बाहर से जीएनए के रूप में इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

(ङ) इस विनियम के खंड (घ) के अनुसार एसटीयू को अनुदत्त समझे गए जीएनए को, संबंधित एसएलडीसी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहित प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाई के लिए पृथक किया जाएगा और इस विनियम के खंड (घ) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा विवरणों के प्रकाशन के 1 मास के अंदर एसटीयू, नोडल एजेंसी और एनएलडीसी को सूचित किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि एसएलडीसी ऐसा पृथक्करण प्रदान करने में विफल होता है, तो जैसा की शेयरिंग विनियमों के अधीन पिछले मास के प्रथम बिल में शामिल है, प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाई को उनके दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुपात में यथानुपात जीएनए आबंटित किया जाएगा।

(च) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाई (इकाइयां) को, जहां संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन ऐसी इकाई को या इसके पहचाने गए क्रेता को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच प्रभावी हो चुकी है, इन विनियमों के अधीन ऐसी दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन जो ग्रिड से जड़े हैं और जिन्हें संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन दीर्घकालिक पहुंच अनुदान नहीं की गई है परंतु जिनकी विद्युत को विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित किया गया है, उन्हें ऐसे उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) की संस्थापित क्षमता के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा।

(ज) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच, क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार के अलावा, इस विनियम के खंड (क) से खंड (च) के अधीन संबंधित ग्रिड से जुड़ी इकाई (इकाइयों) को अनुदत्त समझे गए जीएनए का हिस्सा होगीः

परंतु यह कि ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और संबंधित ग्रिड से जुड़ी इकाई (इकाईयों) के बीच पारेषण प्रभारों का निपटारा उनके बीच मौजूदा करार के अनुसार या पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार किया जाएगा।

(झ) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच को ऐसे दीर्घकालिक पहुंच की अवधि के लिए इन विनियमों के अधीन ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त जीएनए समझा जाएगा।

18.2 उन इकाइयों का विवरण को जिन्हें इन विनियमों के अधीन जीएनए अनुदान किया समझा गया है, इन विनियमों के प्रभावी होने के 1 (एक) मास के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

19. एसटीयू द्वारा अतिरिक्त जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

19.1 इन विनियमों के प्रभावी होने के 3 मास के अंदर एसटीयू प्रदेश के अंदर और प्रदेश से बाहर जीएनए दर्शाते हुए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित, अंतःराज्यिक इकाइयों की ओर से इन विनियमों के खंड (क) से खंड (ङ) के अधीन (इकाई–वार पृथक्करण से साथ) अनुदत्त समझी गई जीएनए से अधिक अतिरिक्त जीएनए के लिए आवेदन कर सकता है।

19.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतःराज्यिक इकाइयों की ओर से एसटीयू, जैसा कि विनियम 39.1 के अनुसार जारी खसंयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधिख में निर्धारित है, प्रदेश से जीएनए और प्रदेश के बाहर से जीएनए दर्शाते हुए (इकाई–वार पृथक्करण से साथ) अगले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के लिए अतिरिक्त जीएनए के लिए प्रत्येक वर्ष सितम्बर के मास तक वित्तीय वर्ष (उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ये विनियम प्रभावी हुए, के बाद के वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए) में एक बार आवेदन कर सकता हैः

परंतु यह कि अगले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में ऐसी अतिरिक्त जोड़े जाने वाली जीएनए की मात्रा, संबंधित वित्तीय वर्ष की विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगी।

20. एसटीयू के अलावा इकाइयों द्वारा जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

20.1 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, और ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख से, प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर से जीएनए का द्विभाजन दर्शाते हुए जीएनए के लिए आवेदन कर सकती हैं।

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, जीएनए की ऐसी मात्रा और अवधि के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अनुसार संबंधित एसटीयू की सहमति प्रस्तुत करेंगी।

20.2 इन विनियमों के विनियम 17.1(iv) के अधीन कवर की गई इकाइयां, ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या भारतीय ग्रिड से आहरण के लिए जीएनए हेतु पृथक रूप से आवेदन कर सकती हैं।

20.3 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (v) के अधीन कवर की गई इकाइयां, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, और ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख से जीएनए के लिए आवेदन कर सकती हैं।

21. नोडल एजेंसी द्वारा प्रणाली का अध्ययन

अतिरिक्त जीएनए के अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर नोडल एजेंसी, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों और अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सीईए पारेषण नियोजन मानदंड के अनुसार प्रणाली का अध्ययन करेगी।

22. जीएनए का अनुदान

22.1 एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान

(क) नोडल एजेंसी, इन विनियमों के विनियम 19.1 के अधीन प्राप्त सभी आवेदनों को आवेदन की प्राप्ति के अंतिम दिन से दो मास के अंदर एक–साथ संसाधित करेगी और उपलब्ध पारेषण क्षमता, या यथानुपात, यदि आवश्यक हो, के आधार पर एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान करेगी। एक बार अनुदत्त किया गया जीएनए, त्याग दिए जाने तक वैध रहेगी।

(ख) नोडल एजेंसी, उस तारीख को दर्शाते हुए जिससे ऐसी अतिरिक्त जीएनए प्रभावी होगी, उपलब्ध पारेषण क्षमता या वृद्धि की समयरेखा को ध्यान में रखते हुए, उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक इन विनियमों के विनियम 19.2 के अधीन प्राप्त आवेदनों के आधार पर एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान करेगी। एक बार अनुदत्त किया गया जीएनए, त्याग दिए जाने तक वैध रहेगी।

(ग) एसटीयू का कुल जीएनए, विनियम 18.1 के अधीन अनुदत्त समझे गए जीएनए और इस विनियम के अधीन अनुदत्त अतिरिक्त जीएनए का योग होगा।

(घ) विनियम 19.1 के अधीन एसटीयू को अनुदत्त समझा गया अंतःराज्यिक इकाई–वार जीएनए और इस विनियम के अधीन अनुदत्त अतिरिक्त जीएनए, ऐसी अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए शेयरिंग विनियमों के अधीन बिल हेतु आधार बनेगी।

22.2 एसटीयू के अलावा इकाइयों को जीएनए का अनुदान

(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राहियों को, संयोजकता के आरंभ की तारीख से संयोजकता की मात्रा के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा। इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार संयोजकता के विभाजन या अंतरण की दशा में, तदनुरूपी जीएनए को यथास्थिति, विभाजित या अंतरित समझा जाएगा।

(ख) नोडल एजेंसी निम्नलिखित समयरेखा के अनुसार, जीएनए के आरंभ की तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम 17.1 के खंड (ii) से (v) के अधीन कवर की गई इकाइयों को जीएनए का अनुदान करेगी:

(i) जहां जीएनए मौजूदा प्रणाली पर अनुदत्त है: उस मास के बाद के मास के अंत तक जिसमें सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ii) जहां पारेषण प्रणाली की वृद्धि आवश्यक है: उस मास के 180 दिनों के अंदर तक जिसमें सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है:

परंतु यह कि नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की वृद्धि की समयरेखा को ध्यान में रखते हुए जीएनए के आरंभ की तारीख से जीएनए का अनुदान करेगी।

(ग) विनियम 17.1 के खंड (iv) के अधीन कवर की गई इकाइयां और

(i) भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के लिए जीएन का आवेदन करने वाली इकाइयां विनियम 4.1 के अधीन इकाइयों पर यथा लागू सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी;

(ii) विनियम 22.2 (ग)(i) के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए, संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3, इन विनियमों के विनियम 16 या जीएनए की अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, के अनुसार वापस की जाएगी;

(iii) भारतीय ग्रिड से आहरण के लिए जीएनए का आवेदन करने वाली इकाइयां, विनियम 17.1(iii) के अधीन इकाइयों पर यथा लागू सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

(घ) इन विनियमों के विनियम 4.1 और विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, जीएनए के आरंभ की तारीख से एक मास पूर्व जीएनए की मात्रा के लिए रु. एक लाख प्रति मेगावाट का एकमुश्त जीएनए प्रभार प्रस्तुत करेंगी। यदि इकाई द्वारा ऐसे प्रभार विनिर्दिष्ट समयरेखा के अंदर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इनकी वसूली अपेक्षानुसार संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 के नकदीकरण द्वारा की जाएगी। ऐसे एकमुश्त जीएनए प्रभार की प्राप्ति को शेयरिंग विनियमों के अधीन मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।

परंतु यह कि विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, शेयरिंग विनियमों के अनुसार एकमुश्त जीएनए प्रभार के अतिरिक्त अपने जीएनए के लिए मासिक पारेषण प्रभारों का भुगतान करेंगी।

22.3 उन इकाइयों का विवरण जिन्हें मात्रा, अवधि और जीएनए के आरंभ की तारीख के साथ जीएनए अनुदान किया गया है, उन्हें जीएनए के अनुदान के एक (01) मास के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

22.4 जीएनए की प्रभावी तारीख

(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राहियों के लिए, ऐसे संयोजकता अनुदानग्राहियों के जीएनए की प्रभावी तारीख, संयोजकता के आरंभ की तारीख या एटीएस की सीओडी, जो भी बाद में हो, होगी।

परंतु यह कि जहां एटीएस के केवल कुछ पारेषण घटकों ने एटीएस की सीओडी से पूर्व सीओडी प्राप्त कर ली है और संयोजकता अनुदानग्राही, अपनी संयोजकता की आंशिक प्रभावशीलता की मांग करता है, नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी आंशिक संयोजकता और संगत जीएनए को प्रभावी बनाएगी।

परंतु यह भी कि जहां ऐसे जीएनए का प्रभावी होना बाकी है, ऐसी इकाई ऐसी पहुंच को डीम्ड टी–जीएनए जैसी के रूप में मानते हुए पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यधीन, अपनी विद्युत को मांगी गई संयोजकता की मात्रा के आंशिक या पूर्ण रूप से अनुसूचित करने की पात्र होगी और उसे टी–जीएनए प्रभारों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए, यदि जीएनए के अनुदान के समय पहचानी हुई वृद्धि की सीओडी को ध्यान में रखते हुए जीएनए के अनुदान में सूचित जीएनए की प्रभावी तारीख को पुनरीक्षित किया जाना है, तो नोडल एजेंसी ऐसी इकाइयों को, जीएनए की पुनरीक्षित प्रभावी तारीख से कम से कम 3 (तीन) मास पूर्व, उस पुनरीक्षित तारीख को इंगित करते हुए नोटिस देगी जिससे जीएनए प्रभावी होगी।

(ग) विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए नोडल एजेंसी, जहां ऐसी इकाई अनुदत्त जीएनए की संपूर्ण या आंशिक मात्रा के लिए उस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए जिससे जीएनए प्रभावी होगी, पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी जीएनए को प्रभावी बनाएगी।

23. अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा जीएनए का उपयोग

23.1 विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाई, जो कि जीएनए अनुदानग्राही है, परस्पर सहमत निबंधनों और शर्तों पर एक समय पर 1 (एक) वर्ष के कम की अवधि के लिए, नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के साथ, अपने संपूर्ण या आंशिक जीएनए को विनियम 17.1 के अधीन कवर अन्य इकाइयों जो कि जीएनए अनुदानग्राही हैं, उपयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकती हैः

परंतु यह कि पारेषण प्रभारों के लिए भुगतान देयता उसी मूल जीएनए अनुदानग्राही की रहेगी, जिसने अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) को अपनी जीएनए उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया हैः

परंतु यह और कि शेयरिंग विनियमों के अधीन पारेषण विचलन प्रभारों की संगणना करने के प्रयोजन हेतु, अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राधिकृत जीएनए को उस मूल जीएनए अनुदानग्राही में से घटा दिया जाएगा जिसने अपनी जीएनए को अन्य अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है और इसे अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) की जीएनए में जोड़ दिया जाएगा जो इसका उपयोग करती है।

23.2 वह अनुदानग्राही जो अपनी जीएनए को अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग किए जाने को प्राधिकृत करने का इच्छुक है, वह संयोजकता के लिए विस्तृत क्रियाविधि और विनियम 39.1 के अनुसार जारी किए गए जीएनए के अनुसार नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा।

अध्याय–5

संयोजकता और जीएनए का त्याग

24. संयोजकता का त्याग

24.1 संयोजकता अनुदानग्राही, पूर्ण या आंशिक रूप से, संयोजकता का त्याग नोडल एजेंसी को 30 दिनों के नोटिस के साथ कर सकता है। नोडल एजेंसी, ऐसे अनुदानग्राही को संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी करेगी यदि संयोजकता का त्याग आंशिक रूप से किया गया है।

24.2 विनियम 7.2 के अधीन कवर इकाइयों के लिए और जहां इन विनियमों के विनियम 8.2 के अनुसार यथा लागू संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 प्रस्तुत की गई है, निम्नलिखित लागू होगाः

(क) संयोजकता की संपूर्ण मात्रा के त्याग के मामले में, (i) मौजूदा संयोजकता–बीजी1 का नकदीकरण होगा, (ii) मौजूदा संयोजकता–बीजी2 का नकदीकरण होगा यदि टर्मिनल बे पहले से ही विकसित हैं या जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है और (iii) मौजूदा संयोजकता–बीजी3 का नकदीकरण होगा।

(ख) संयोजकता की आंशिक मात्रा के त्याग के मामले में, (i) मौजूदा संयोजकता–बीजी2 का नकदीकरण संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के अनुपात में होगा यदि टर्मिनल बे पहले से ही विकसित हैं या जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है और (ii) मौजूदा संयोजकता–बीजी3 का नकदीकरण संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के तदनुरूप होगा। संयोजकता–बीजी1 को विनियम 16.1 के अनुसार पूर्ण क्षमता पर विचार करते हुए ऐसी त्यागी गई मात्रा को छोड़कर वापस कर दिया जाएगा।

24.3 विनियम 7.2 के अधीन कवर इकाइयों के लिए और जहां इन विनियमों के विनियम 8.3 के अनुसार संयोजकता–बीजी2 को प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित लागू होगाः

(क) संयोजकता की संपूर्ण मात्रा के त्याग के मामले में, मौजूदा संयोजकता–बीजी1 का नकदीकरण होगा और मौजूदा संयोजकता–बीजी2 का नकदीकरण एटीएस और टर्मिनल बे के तदनुरूप होगा जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है।

(ख) संयोजकता की आंशिक मात्रा के त्याग के मामले में, मौजूदा संयोजकता–बीजी2 का नकदीकरण एटीएस और टर्मिनल बे के तदनुरूप संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के अनुपात में होगा जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका संयोजकता–बीजी1 को विनियम 16.1 के अनुसार पूर्ण क्षमता पर विचार करते हुए ऐसी त्यागी गई मात्रा को छोड़कर वापस कर दिया जाएगा।

24.4 संयोजकता के प्रतिसंहरण या संयोजकता के त्याग के मामले में, तदनुरूपी जीएनए को कम कर दिया जाएगा। यदि संयोजकता अनुदानग्राही संयोजकता का पूर्ण रूप से त्याग करता है, तो उसे संयोजकता के त्याग की तारीख से आईएसटीएस से वियोजित कर दिया जाएगा। प्रतिसंहरण होने पर, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन तदनुरूपी मात्रा के लिए कोई बिलिंग नहीं होगी।

24.5 इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3 के अनुसार, नकदीकृत संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 की प्राप्त राशि को शेयरिंग विनियमों के अधीन घटते हुए मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।

25. जीएनए का त्याग

25.1 विनियम 17.1 के अधीन कवर इकाई के लिए, एक बार अनुदत्त जीएनए का पूर्णतया या आंशिक रूप से त्याग, निम्नलिखित के अनुसार, अग्रिम रूप से त्याग प्रभारों के भुगतान पर, नोडल एजेंसी को 30 दिनों के नोटिस के साथ किया जा सकता है:

(क) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (i) के अधीन कवर इकाई के लिए एसटीयू, पहचानी गई अंतःराज्यिक इकाई की ओर से जीएनए का त्याग कर सकती है। त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनुरूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम बिलिंग मास के लिए ऐसी अंतःराज्यिक इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के 24 गुना के बराबर होंगे।

(ख) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) से खंड (iv) के अधीन कवर इकाइयों के लिए त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनुरूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम मास के लिए ऐसी इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के 24 गुना के बराबर होंगे।

परंतु यह कि यदि जीएनए की शेष अवधि 24 मास से कम होती है तो त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनुरूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम मास के लिए ऐसी इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के शेष मास की संख्या के बराबर होंगे।

(ग) इस विनियम के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्राप्त हुए त्याग प्रभारों को, शेयरिंग विनियमों के अधीन घटते हुए मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर इकाई द्वारा जीएनए की संपूर्ण मात्रा के त्याग पर, ऐसी इकाई को ग्रिड से वियोजित कर दिया जाएगा।

25.2 यदि विनियम 17.1 के खंड (i) के अधीन कवर जीएनए वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहित अंतःराज्यिक इकाई, विनियम 17.1 के खंड (ii) के अधीन जीएनए के साथ प्रतिस्थापित करती है, तो ऐसी अंतःराज्यिक इकाई के लिए जीएनए को ऐसी प्रतिस्थापित मात्रा के लिए और ऐसी प्रतिस्थापित अवधि के लिए, विनियम 22.1 के खंड (ग) के अधीन एसटीयू की रखी गई कुल जीएनए में से घटा दिया जाएगा।

अध्याय 6

अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच

26. अस्थायी जीएनए के लिए पात्रता

26.1 निम्नलिखित इकाइयां, आईएसटीएस को टी–जीएनए हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक के रूप में पात्र होंगी:

(क) क्रेता के रूप में,

(i) आईएसटीएस से सीधे जुड़े वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

(ii) आईएसटीएस से सीधे जुड़े थोक उपभोक्ता;

(iii) अंतःराज्यिक प्रणाली या ऐसी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी वितरण प्रणाली से जुड़ी क्रेता इकाई;

(iv) विद्युत बाजार विनियमों के विनियम 6 के खंड (3) के अनुसार अपनी आनुषंगिक खपत या स्टार्ट–अप विद्युत को पूरा करने के लिए या अपने आपूर्ति दायित्वों को पूरा करने के लिए आरईजीएस सहित उत्पादन स्टेशन;

(v) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र;

(vi) स्टैंडअलोन ईएसएस;

(vii) गैर–उत्पादन घंटों के दौरान आहरण हेतु आरईजीएस।

(ख) भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या इससे आहरण के लिए (i) इस विनियम के खंड (क) के अधीन कवर क्रेता (क्रेताओं) की ओर से, और (ii) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे हुए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी।

(ग) भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या इससे आहरण के लिए (i) इस विनियम के खंड (क) के अधीन कवर क्रेता (क्रेताओं), और (ii) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे हुए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की ओर से सामूहिक संव्यवहारों या द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए पावर एक्सचेंज।

26.2 जीएनए अनुदानग्राही, उसे अनुदत्त जीएनए से अधिक टी–जीएनए के लिए आवेदन करने हेतु इस विनियम के विनियम 26.1 के खंड (क) के अधीन पात्रता के अनुसार पात्र होगा।

26.3 टी–जीएनए आवेदन, सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अर्थात् राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) के माध्यम से किए और संसाधित किए जाएंगे।

27. राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर)

27.1 एनओएआर निम्नलिखित करेंगे:

(i) टी–जीएनए आवेदनों की लेखापरीक्षा का पथ–मार्ग प्रदान करना;

(ii) टी–जीएनए आवेदनों के संसाधन हेतु आरएलडीसी और एसएलडीसी के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करना;

(iii) स्टैंडिंग क्लियरेंस के प्रमाणन और अंतःदिवस, डे अहेड आकस्मिकता, टर्म–अहेड, डे–अहेड और वास्तविक समय संव्यवहारों के संसाधन हेतु पावर एक्सचेंज के साथ इंटरफेस प्रदान करना;

(iv) टी–जीएनए से संबंधित भुगतान करने हेतु भुगतान गेटवे प्रदान करना;

(v) आरएलडीसी और एसएलडीसी को वास्तविक समय सूचना के साथ डैश बोर्ड सुविधा प्रदान करना और आरएलडीसी और एसएलडीसी द्वारा जारी स्टैंडिंग क्लियरेंस, पारेषण कॉरिडोर की उपलब्धता, लंबित आवेदन, और अनदत्त टी–जीएनए और रद्द टी–जीएनए सहित टी–जीएनए से संबंधित सूचना के भंडार–गृह के रूप में कार्य करना;

(vi) बाजार जांच और निगरानी के लिए सामयिक रिपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान करना;

(vii) समय–समय पर आयोग द्वारा यथा निदेशित कोई अन्य कार्य की सुविधा प्रदान करना।

27.2 एनएलडीसी, एनओएआर के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे और एनओएआर को प्रचालित करने हेतु विनियम 39.2 के अनुसार जारी टी–जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि जारी करना।

28. टी–जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

28.1 टी–जीएनए के लिए आवेदन, 1 (एक) समय ब्लॉक से और 11 (ग्यारह) मास तक की किसी अवधि के लिए किया जा सकता है।

28.2 किसी विनिर्दिष्ट मात्रा और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए नोडल एजेंसी को टी–जीएनए के अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन, पांच हजार रुपए (रु. 5000/–) की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा।

28.3 ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति के लिए स्वतःजनित पावती जारी की जाएगी। पावती में आवेदन की प्राप्ति का समय और तारीख होंगे और इसे टी–जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन के दिन (डी) के रूप में माना जाएगा।

28.4 टी–जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अधीन किये जाएंगे:

क. द्विपक्षीय संव्यहारों के लिए

(क) टी–जीएनए के अनुदान के लिए अग्रिम आवेदनः (डी+3) दिवस को या उसके बाद आरंभ होने वाले टी–जीएनए के अनुदान के लिए दिवस (डी) पर किया गया आवेदन, जो दिवस (डी) या परवर्ती माह के रूप में उसी माह में आता है।

(ख) टी–जीएनए के अनुदान के लिए अत्यावश्यक आवेदनः (एस) दिवस के लिए शेड्यूलिंग सहित टी–जीएनए के अनुदान के लिए (डी) दिवस पर किया गया आवेदन जो 7(सात) टाइम–ब्लॉकों के न्यूनतम आरंभिक समय के साथ (डी) दिवस या (डी+1) दिवस या (डी+2) दिवस हो सकता सकता है जबतक कि ग्रिड कोड में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो:

परंतु कि टी–जीएनए के अनुदान के लिए अत्यावश्यक आवेदन दिवस (एस) के 0000 घंटे से 2400 घंटों के बीच किसी टाइम–ब्लॉक(ब्लॉकों) के लिए किया जाएगा।

ख. सामूहिक संव्यवहारों के लिए

आवदेन विनियम 39.2 के अनुसार जारी किये गये टी–जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित पावर एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा।

28.5 द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अग्रिम आवेदन की श्रेणी:

(i) मेगावाट में टी–जीएनए की मात्रा;

(ii) टाइम–ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी–जीएनए का प्रारंभिक समय ;

(iii) टाइम–ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी–जीएनए का अंतिम समय;

(iv) अंतःक्षेपण का प्वाइंट, यदि उपलब्ध है, या अंतःक्षेपण के प्वाइंट के अभाव में लक्षित अंतःक्षेपण क्षेत्र;

परंतु कि क्रॉस बार्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार की स्थिति में भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के मामले में अंतःक्षेपण का प्वाइंट आवेदन सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) आहरण का प्वाइंट;

(vi) एसएलडीसी कि स्थायी क्लीयरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट स्थित है यदि क्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है;

(vii) यदि विक्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट उपलब्ध है तो एसएलडीसी का स्थायी क्लीयरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है।

परंतु कि अंतःक्षेपण के प्वाइंट तथा एसएलडीसी के तदनुरूपी स्थायी क्लीयरेंस के मामले में जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है और आवेदन करते समय उपलब्ध नहीं है तो इसे इन विनिमयों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(viii) यदि विक्रेता प्रादेशिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट आवेदन करते समय उपलब्ध नहीं है तो अंतःक्षेपण का प्वाइंट इन विनियमों के विनमय 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी:

(i) अंतःक्षेपण का प्वाइंट पर अनुसूचित किया जाने वाला पावर (एमडब्ल्यू) की कान्ट्रेक्ट की गयी मात्रा;

(ii) टाइम–ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी–जीएनए का आरंभिक समय;

(iii) टाइम–ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी–जीएनए का अंतिम समय;

(iv) अंतःक्षेपण का प्वाइंट;

(v) आहरण का प्वाइंट;

(vi) एसएलडीसी की स्थायी क्लीयरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट और अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है यदि क्रेता या आपूर्तिकर्ता अंतःराज्यिक इकाई है, जैसा लागू है।

(vii) विद्युत के बिक्री और क्रय के लिए कान्ट्रेक्ट की प्रति

28.6 द्विपक्षीय संव्यवहारों के अधीन टी–जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित घोषणाओं को शामिल किया जाएगाः

(क) कि ग्रिड के उपबंधों के अनुसार टाईम–ब्लॉक वार मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना और संचार विनिमयों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली आहरण के प्वाइंट और अंतःक्षेपण के प्वाइंट, यदि उपलब्ध हो, के लिए उपयुक्त स्थान में है।

(ख) कि टी–जीएनए के लिए अग्रिम आवेदन करते समय यदि अंतःक्षेपण का प्वाइंट पता नहीं लगाया गया है तो ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार –ब्लॉक वार मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपब्धता, अंतःक्षेपण के प्वांइट के लिए संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली और एसएलडीसी की स्थायी क्लीयरेंस यदि विक्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रकार के अंतःक्षेपण का प्वाइट स्थित है इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) कि आवेदक टी–जीएनए के अधीन संव्यवहारों से परिणामतः या उद्भूत थर्ड पार्टी को या उसके द्वारा किसी अन्य बाध्यताओं तथा किसी और सभी दावों, कार्रवाइयों से किसी भी समय पर नोडल एजेंसी से क्षतिपूर्ति करता है।

(घ) कि प्रस्तावित शेड्यूलिंग के लिए वैध कान्ट्रेक्ट है।

परंतु कि टी–जीएनए के लिए अग्रिम आवेदन के मामले में यह घोषणा कि प्रस्तावित शेड्यूलिंग के लिए वैध कान्ट्रेक्ट है प्रस्तुत किया जाएगा यदि इसे इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित टी–जीएनए के लिए आवदेन करने के समय पर पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28.7 पावर एक्सचेंज द्वारा सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रादेशिक इकाई वार अंतःक्षेपण या आहरण(मेगावाट) शामिल किया जाएगा।

28.8 टी–जीएनए के लिए आवेदन को रद्ध करने के मामले में आवेदन फीस जब्त की जाएगी।

29. नोडल एजेंसी द्वारा टी–जीएनए क अनुदान के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग

29.1 टी–जीएनए को जीएनए अनुदानग्राहियों के जीएनए के लिए लेखांकन के बाद आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

29.2 जीएनए अनुदानग्राहियों को आईएसटीएस के उपयोग के लिए टी–जीएनए अनुदानग्राहियों पर प्राथमिकता होगी।

29.3 टी–जीएनए के लिए अग्रिम आवेदनों पर प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा और आवेदन करने की तारीख होने से 'डी' पर दिवस के 23.59 तक अधिकतम (डी+1) पर प्रोसेस किया जाएगा।

29.4 (एस) दिवस के लिए अनुसूची सहित टी–जीएनए के लिए अत्यावश्यक आवेदनों को निम्नानुसार प्रोसेस किया जाएगा।

(क) (एस–1) दिवस के 1300 घंटे तक प्राप्त आवेदन प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर (एस–1) दिवस पर 1300 घंटों के बाद प्रोसस किया जाएगा और दिवस (एस–1) के 1400 घंटों तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ख) (एस–1) दिवस या (एस) दिवस में 1300 घंटों के बाद प्राप्त आवेदनों को प्रथम आओं प्रथम पाओं आधार पर 4 टाइम–ब्लॉकों के अंतर्गत प्रोसस किया जाएगा।

29.5 डेअहेड बाजार के अंतर्गत सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए को दिवस (एस–1) के 1300 घंटों तक प्रोसेस किया जाएगा।

29.6 वास्तविक समय बाजार के अंतर्गत सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए को टाइम–ब्लॉक के अंतर्गत प्रोसेस किया जाएगा।

29.7 नोडल एजेंसी निम्नलिखित को सत्यापित करेगी:

(क) अंतःराज्यिक इकाई के मामले में :

(i) यदि क्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है तो एसएलडीसी से स्थायी क्लीयरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट स्थित है वहां यह पुष्टि करते हुए (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार लेखांकन और टाइम ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली (ग) अंतःराज्यिक नेटवर्क में पारेषण क्षमता की उपलब्धता;

(ii) यदि विक्रेता एक अतःराज्यिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट उपलब्ध है तो एसएलडीसी से स्थायी क्लीयरेंस स्थित है वहां यह पुष्टि करते हुए (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार लेखांकन और टाइम ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली (ग) अंतःराज्यिक नेटवर्क में पारेषण क्षमता की उपलब्धता;

(iii) आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता;

(iv) विनियम 28.6 में यथा प्रदत्त घोषणाओं को, यथालागू, प्रस्तुत किया गया है।

(ख) प्रादेशिक इकाई के मामले में :

(i) यदि क्रेता (आहरण का प्वाइंट) प्रादेशिक इकाई है तो आरएलडीसी के माध्यम से पुष्टि जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रकार का आहरण का प्वाइंट स्थित है:

(क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार टाइम–ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व और

(ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली.

(ii) यदि विक्रेता प्रादेशिक नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट रखने वाली प्रादेशिक इकाई है तो आरएलडीसी के माध्यम से पुष्टि करना जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का इस प्रकार का प्वाइंट स्थित है:

(क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार टाइम–ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व और

(ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली प्रवृत्त है।

(iii) आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी)

(iv) विनियम 28.6 में यथा प्रदत्त घोषणाओं को, यथालागू, प्रस्तुत किया गया है

30. टी–जीएनए का अनुदान

30.1 एनएलडीसी या नोडर आरएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो इन विनियमों के विनियम 29 में निर्धारित टाइम लाईन के अनुसार आवेदक को टी–जीएनए का अनुदान करना या अन्यथा प्रेषित करेगा। टी–जीएनए का अनुदान करने के लिए आवेदन को रद्द करने की स्थिति में, एनएलडीसी या नोडल आरएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो लिखित में आवेदक को इस प्रकार रद्द करने के लिए कारण देगा।

30.2 आवेदन किये गये टी–जीएनए की स्थिति में को पूर्ण मात्रा के लिए और पारेषण प्रणाली में बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन में मांगी गयी पूर्ण अवधि की स्वीकृत्ति नहीं दी जा सकती तो आवेदन को रद्द किया जाएगा।

परंतु कि यदि आवेदक ने अपने आवेदन में मंजूरी दी है कि आंशिक मात्रा या आंशिक अवधि या दोनों के लिए टी–जीएनए का अनुदान किया जा सकता है तो इस प्रकार की आंशिक मात्रा और आंशिक अवधि या दोनों के लिए टी–जीएनए को उपलब्ध पारेषण क्षमता के अनुसार अनुदान किया जाएगा।

31. टी–जीएनए के अनुदान के लिए स्थायी क्लीयरेंस

31.1 टी–जीएनए के अनुदान के लिए एसएलडीसी से स्थायी क्लीयरेंस के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट मात्रा और विनिर्दिष्ट अवधि क लिए ऑनलाइन किया जाएगा।

31.2 जहां अंतःराज्यिक पारेषण नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता और आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व स्थापित किया गया है तो संबंधित एसएलडीसी इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अंदर स्थायी क्लीयरेंस जारी करेगा:

परंतु कि जब स्थायी क्लीयरेंस के लिए आवेदन इकाई द्वारा पहली बार किया गया है तो संबंधित एसएलडीसी के आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर आवेदक को स्थायी क्लीयरेंस जारी करेगा।

31.3 यदि संबंधित एसएलडीसी आवश्यक अवसंरचना के गैर अस्तित्व के आधार पर या अंतःराज्यिक पारेषण नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता का अनुपलब्धता के आधार पर स्थायी क्लीयरेंस जारी करने के लिए मना करता है तो इस प्रकार की मनाही के लिए कारणों सहित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवस, जैसी भी स्थिति हो, के अंदर एनओएआर के माध्यम से आवेदक को प्रेषित करेगा:

परंतु कि जहां संबंधित एसएलडीसी ने तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवसों जैसी भी स्थिति हो की अवधि के अंदर स्थाई क्लीयरेंस के लिए आवेदन की मनाही या अनुमोदन को प्रेषित नहीं किया है तो स्थायी क्लीयरेंस को उस अवधि के लिए तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवसों जैसी भी स्थिति हो की इस प्रकार की अवधि की समाप्ति के बाद अगले दिन के अंत में प्रदान किया माना जाएगा जिसके लिए इस प्रकार का स्थायी क्लीयरेंस का आवेदन किया गया था या सात दिनों की अवधि के लिए, जो भी कम हो, के लिए आवेदन किया गया था।

31.4 टी–जीएनए अनुदानग्राही जिसे स्थायी क्लीयरेंस विनियम 31.2 के अनुसार जारी किया गया है या विनियम 31.3 के अनुसार जारी किया गया माना गया है, इस प्रकार से पावर एक्सचेंज(जों) में बोली लगाएगा कि द्विपक्षीय संव्यवहारों और सामूहिक संव्यवहारों के अधीन सभी बोली(यों) के लिए प्रत्येक टाइम ब्लॉक में कुल मात्रा स्थायी क्लीयरेंस की मात्रा से अधिक नहीं होगी।

परंतु कि यदि टी–जीएनए अनुदानग्राही द्वारा द्विपक्षीय संव्यवहारों और सामूहिक संव्यवहारों के अधीन पावर एक्सचेंज(जों) में बोली(यों) की कुल मात्रा किसी टाइम ब्लॉक में स्थायी क्लीयरेंस की मात्रा से अधिक होती है तो एनएलडीसी संबंधित एसएलडीसी को सूचित करते हुए सात दिनों की अवधि के लिए द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों में सहभागिता से इस प्रकार के टी–जीएनए अनुदानग्राही को अपवर्जित करेगा।

परंतु यह कि उक्त परंतुक के अनुसार अपवर्जित इस प्रकार के टी–जीएनए अनुदानग्राहियों की सूची एनओएआर पर प्रदर्शित होगी।

31.5 संबंधित एसएलडीसी पारेषण प्रणाली में बाधाओं के मामले में केवल किसी टी–जीएनए गारंटी के संबंध में या रक्षित ग्रीड प्रचालन के हित में जारी किए गए स्थायी क्लियरेंस की अवधि या मात्रा को संशोधित कर सकते हैं।

32. **टी–जीएनए का पुनरीक्षण**

32.1 एक माह से अनाधिक अवधि के लिए अग्रिम आवेदन श्रेणी या अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन प्रदान किया गया टी–जीएनए को पुनरीक्षित नहीं किया जाता सकता।

32.2 एक माह से अधिक की अवधि के लिए अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन प्रदान किए गए टी–जीएनए को टी–जीएनए गारंटी द्वारा एक माह के पूर्व नोटिस सहित शेष अवधि के लिए कम किया जा सकता है:

परन्तु कि अनुदान किए गए टी–जीएनए की मात्रा के लिए लागू टी–जीएनए प्रभार एक माह की नोटिस अवधि के लिए प्रतिदेय होगा।

33. **टी–जीएनए के अधीन विद्युत के लिए अनरोध की शेड्यूलिंग**

33.1 अग्रिम आवेदन श्रेणी :

(क) अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी–जीएनए अनुदानग्राही द्वारा शेड्यूलिंग अनुरोध ग्रिडकोड के उपबंधों के अनुसार डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए बोली विंडो की शुरूआत से पूर्व डेअहेड आधार पर किया जाएगा।

(ख) यदि विक्रेता राज्य नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतक्षेपण के प्वाइंट वाली एक अंतराज्यिक इकाई है तो शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ इन विनियमों के विनियम 28.5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (vii) के अनुसार स्थायी क्लियरेंस संलग्न है।

(ग) यदि विक्रेता प्रादेशिक नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतक्षेपण का प्वाइंट वाली एक प्रादेशिक इकाई है तो अंतक्षेपण का प्वाइंट इन विनियमों के विनियम 28.5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ यह घोषणा संलग्न होगी कि विद्युत की बिक्री और क्रय के लिए कांट्रेक्ट की प्रति सहित इन विनियमों के विनियम 28.6 के खण्ड (घ) के परन्तुक के अनुसार एक वैध कांट्रेक्ट हैं।

33.2 अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन अनुदान की गई टी–जीएनए पर अनुसूची के रूप में विचार किया जाएगा जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

33.3 अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी–जीएनए अनुदानग्राही अगले दिन के लिए डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए बोली विंडो के आरंभ से पूर्व शेड्यूलिंग अनुरोध करने के समय पर इसके टी–जीएनए मात्रा तक अनुसूची विद्युत के लिए अनुरोध कर सकता है:

परन्तु कि यदि इस प्रकार का टी–जीएनए अनुदानग्राही अनुसूचन अनुरोध के समय पर इसी टी–जीएनए मात्रा तक अनुसूची विद्युत नहीं करता तो टी–जीएनए की अप्रयुक्त मात्रा को इन विनियमों के विनियम 36 के अनुसार वास्तविक समय बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों और टी–जीएनए के लिए अत्यावश्यक आवेदनों, जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा नियत अनुसूची पुनरीक्षण, डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए रिलीज किया जाएगा।

34. टीजीएनए के लिए पारेषण प्रभार

34.1 राज्य के लिए रुपये/मेगावाट/टाइमब्लाक में टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभार दर शेयरिंग विनियमों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

34.2 द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों के मामलों में टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभार उस राज्य के लिए जहां आहरण इस प्रकार का प्वाइंट स्थित है, टी–जीएनए के लिए अंतिम प्रकाशित पारेषण प्रभार दर के अनुसार के केवल आहरण के प्वाइंट पर प्रतिदेय होगा:

परन्तु कि सामूहिक संव्यवहारों के अधीन, टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभार जीएनए मात्रा से अधिक आहरण अनुसूची या टीजीएनए मात्रा या दोनों, जैसा भी लागू हो, के लिए प्रतिदेय होगा।

34.3 टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित नहीं किया जाएगा।

34.4 टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों का भुगतान:

(क) अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को निम्नानुसार नोडल एजेंसी के पास टी–जीएनए गारंटी द्वारा जमा करवाया जाएगा :

(i) एक माह तक टी–जीएनए के लिए – टी–जीएनए के अनुदान के तीन कार्यदिवसों के अंदर :

परंतु कि जहां टी–जीएनए अगले तीन कार्यदिवसों के अंदर आरंभ हो रहा है। टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभार टी–जीएनए की आरंभिक तारीख से पूर्व जमा होंगे;

(ii) एक माह से अधिक के लिए टी–जीएनए के लिए – टी–जीएनए के अनुदान के तीन कार्यदिवसों के अंदर लेकिन टी–जीएनए की आरंभिक तारीख से पूर्व प्रथम माह के लिए प्रभार और अग्रिम में एक माह रोलिंग आधार पर प्रत्येक परवर्ती माह और उसके भाग सहित यदि कोई है, के लिए प्रभार।

(ख) अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभार आवेदन सहित जमा होंगे। यदि अति आवश्यक आवेदन प्रयुक्त मात्रा के भाग के लिए अनुमोदित हो जाता है या प्रयुक्त अवधि का भाग या रद्द हो जाता है तो तदनुरूपी पारेषण प्रभार अनुमोदन की तारीख से अगले दिन तक वापिस हो जाएगा। :

परंतु कि आवेदक भावी टी–जीएनए आवेदनों के लिए समायोजित किए जाने वाले नोडल एजेंसी के पास अधिक पारेषण प्रभारों को रखने के लिए विकल्प कर सकता है।

(ग) सामूहिक संव्यवहारों के अंतर्गत पावर एक्सचेंज टी–जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन के दिवस होने के नाते (डी+2), (डी) के 2400 घंटे तक नोडल एजेंसी से टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को जमा करेंगे:

परंतु कि अंतराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विद्युत एक्सचेंज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निपटाया जाएगा।

(घ) यदि टी–जीएनए के अधीन कोई शेड्यूलिंग अनुरोध डेअहेड आधार पर आरएलडीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता या पारेषण बाधाओं या ग्रिड सुरक्षा के कारणों से कम किया जाता है तो अनुसूचित नहीं किए गए या कम किए गए इस प्रकार की मात्रा के लिए पारेषण प्रभारों को अगले माह की 15 दिवस तक टी–जीएनए अनुदानग्राही को वापस किया जाएगा।

परंतु कि स्थायी क्लियरेंस की गैर उपलब्धता को पारेषण प्रणाली में बाधाओं के रूप में नहीं माना जाएगा।

34.5 टी–जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों के भुगतान में चूक की स्थिति में प्रदान किए गए टी–जीएनए को रद्द किया जाएगा।

34.6 सामूहिक संव्यवहारों के अंतर्गत टी–जीएनए प्रभारों के भुगतान में विलंब के मामले में चूक के प्रत्येक दिन के लिए 0. 04%की दर पर साधारण ब्याज विद्युत एक्सचेंज द्वारा प्रतिदेय होगा।

35. टी–जीएनए के अंतर्गत आवेदनों के बारे में सूचना

टी–जीएनए के आवेदनों के अनुमोदन या रदद करने से संबंधित सूचना, अनुसूचियों के पुनरीक्षण या कमी, भुगतान अनुसूचियों और इस प्रकार के अन्य मामलों को ईमेल या एसएमएस या संचार के इस प्राकर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से अलर्ट करने सहित संबंधित बाजार सहभागियों को एनओएआर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।